कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्र0......39....../दो–12–11/2014 बैतूल, दिनांक 21/03/2020

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक ए/851 दिनांक 20.03.2020 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि :–

1– निर्देश कंडिका–1 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक न्यायालयीन समय 11:00 से 02:00 तथा कार्यालयीन समय 10:30 से 02:00 बजे तक रखा गया है, के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।

2– समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें दिनांक 31.03.2020 तक किसी भी प्रकार का अवकाश या मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नही की जावेगी।

3– माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 31–03–2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में अग्रिम रूप से दिनांक 31–03–2020 से आगे की तिथि दी जाना है। अतः न्यायालयों द्वारा जिन प्रकरणों में अग्रिम रूप से तिथियॉ निर्धारित की गई है, उनके संबंध में सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना तथा उसकी सूचना जिला अधिवक्ता संघ/तहसील अधिवक्ता संघ को प्रेषित किया जाना, सी.आई.एस. सॉफटवेयर पर अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा उक्त निर्देशों का पालन कर दिया गया है के संबंध में तत्काल पालन प्रतिवेदन कार्यालय को प्रेषित किया जावें। त्रुटि की दशा में माननीय उच्च न्यायालय को लिखा जावेगा।

4– रजिस्ट्री के सर्कुलर अनुसार दिनांक 31.03.2020 के अनुसार तक निर्धारित समय पश्चात कार्यालय/न्यायालय से कर्मचारीगण सीधे घर प्रस्थान करेगें, तथा किसी भी दशा में मुख्यालय नही छोड़ेगें। आकस्मिक निरिक्षण की स्थिति में अनुपस्थित या उपलब्ध न होने की दशा में उनके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय को लिखा जावेगा।

5– माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार साफ–सफाई एवं सेनेटाईजेशन कार्य के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी प्रातः 10:00 बजे तथा 06:00 बजे पश्चात यह सुनिश्चित करेगें कि न्यायालय परिसर में प्रत्येक दिवस सेनेटाईज कार्य किया गया है। स्वच्छता कार्य में लगे हुये कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा स्वच्छता समिति के द्वारा भी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जावेगा।

6– यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को फ्लू, खांसी, सर्दी, बुखार आदि के लक्षण है तब वह तत्काल डॉक्टर से सम्पर्क करेगा एवं जिला न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें।

संलग्न :– माननीय उच्च न्यायालय
का परिपत्र व एडवाईजरी।

21.03.2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म0प्र0)

पृष्ठा.क्र0......341......../दो–12–11/2014 बैतूल, दिनांक 21 /03/2020

प्रतिलिपि :–

1. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) बैतूल।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति0 अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही (श्री कमलेश इटावदिया/श्री अनुज त्यागी/श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी/श्रीमति रेखा आर.चद्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के.दंदेलिया/श्री हरप्रसाद बंशकार/श्री सुशील कुमार जोशी/श्री कृष्ण दास महार/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी)
4. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल।
5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही (श्री दीनानाथ वाड़िवा/श्रीमति सुनीता ताराम/श्रीमति रंजीताराव सोलंकी/श्रीमति मंजूषा तेकाम)
6. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला (सुश्री श्वेता खरे/श्रीमति कमला गौतम/श्री विनोद अहिरवार/श्री सिद्वार्थ शर्मा/श्रीमति प्रियंका कुशवाह/श्री अजय कुमार उईके/श्री दीपेन्द्र मालू/सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री कौस्तुभ खेड़ा/श्री आशीष मिश्रा)
7. प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/अभिलेखागार/प्रतिलिपि/कार्यालय/ सॉख्यिकीय/पंजीयन/तलवाना/कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला
8. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।

की ओर समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

9. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला
10. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म0प्र0)